

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-03/एम0-11/2017-सा0प्र0-3127 / पटना-15 दिनांक-6.3.2018

भारत-संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ।- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में -
 - (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
 - (ii) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो स्थायी रूप से सृजित पद के विरुद्ध नियमित रूप से सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त हो और जिसकी विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति पर इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा रहा हो।
 - (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है किसी सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु विहित नियुक्ति नियमावली/अथवा अन्य अनुदेश में घोषित नियुक्ति प्राधिकार;
 - (iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है किसी सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार;
 - (v) "विभाग" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का पैतृक विभाग;
 - (vi) "केन्द्रीय परीक्षा पर्वद" से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या- 13559 दिनांक-10.10.1961 में विहित केन्द्रीय परीक्षा पर्वद;
 - (vii) "विहित परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवक के लिये विहित "हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा", "कम्प्यूटर परीक्षा" अथवा "विभागीय परीक्षा";
 - (viii) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है "राजपत्रित पदाधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा नियमावली, 1961" अथवा अन्य सेवा नियमावलियों में विहित विभागीय परीक्षा;

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत नियमावली/परिपत्र/आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-11/2017-सा0प्र0- 3127 /पटना-15, दिनांक 6.3.18

प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-11/2017-सा0प्र0- 3127 /पटना-15, दिनांक 6.3.18

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 787 /पी-03

17-05-01-2019

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 02-08-2019

प्रतिलिपि -

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार (रेलवे/सै0पु0/राज्य इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार (रेलवे/सै0पु0/राज्य इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित) बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस (एम0एम0पी0/म0स0वा0 सहित), बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. सभी प्रचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना

अभिप्रेत